रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4, 1987 (आषाढ़ 13, 1909)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4, 1987 (ASADHA 13, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय कम्पनी विभाग

कलकत्ता—700 001, दिनांक 15 मई 1987

सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०)—87—भारतीय रिज़र्व बैंक यह विचार करते हुए कि नीचे लिखे निदेश जारी करना जनहित में है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ और 45ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों और इस कार्य के लिए उसे प्रदान किए गए सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, आगे बताए गए निदेश देता है ।

भाग I—प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारम्भ

ये निदेश "शेष गैर बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1987" के नाम से जाने जाएंगे । ये निदेश 15 मई 1987 से लागू होंगे और इन निदेशों के प्रारंभ की तारीख के बारे में कोई भी संदर्भ उस तारीख के संदर्भ में माना जाएगा ।

भाग II—निदेशों की व्याप्ति

2. ये निदेश प्रत्येक उस शेष गैर बैंकिंग कंपनी पर लागू होंगे जो गैर बैंकिंग संस्था है और जो कंपनी होने के कारण किसी योजना अथवा व्यवस्था के अन्तर्गत, उसका कुछ भी नाम हो, जमाराशियां एकमुश्त अथवा अभिदान या चंदे द्वारा किस्तों में अथवा यूनिट या प्रमाणपत्र या अन्य लिखत की बिक्री द्वारा अथवा किसी अन्य ढंग से स्वीकार करती है और जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 अथवा, यथास्थिति, विविध गैर बैंकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 में दी गयी परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कोई नहीं है —

(i) उपकरण पट्टे पर देनेवाली कंपनी

(ii) किराया खरीद वित्त कंपनी

(iii) आवास वित्त कंपनी

(iv) बीमा कंपनी

(v) निवेश कम्पनी

(vi) ऋण कंपनी

(vii) पारस्परिक लाभ की वित्तीय कंपनी, और

(viii) विविध गैर बैंकिंग कंपनी ।

3. परिभाषाएं

इन निदेशों में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "जमाराशि" का अर्थ वही है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 21) की धारा 45झ(खख) में बताया गया है,

(ख) "जमाकर्ता" का अर्थ ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसने कम्पनी के पास जमाराशि जमा की है ।

(ग) वे शब्द या अभिव्यक्तियां जो यहां इस्तेमाल की गयी हैं, किन्तु वे यहां पारिभाषित नहीं की गयी हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) में पारिभाषित की गयी हैं, उनका अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में बताया गया है । कोई अन्य शब्द या अभिव्यक्तियां जो न तो यहां पारिभाषित की गयी हैं और न ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में, किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में पारिभाषित की गयी हैं, उनका अर्थ वही होगा, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में बताया गया है ।

4. शेष गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना

15 मई 1987 को और उस तारीख से कोई भी शेष बैंकिंग कम्पनी कोई ऐसी जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी जो मांग अथवा नोटिस पर अथवा इस प्रकार की जमाराशि प्राप्त करने की तारीख से कम से कम 12 महीने अथवा अधिक से अधिक 120 महीने की अवधि के बाद चुकायी जानी हो अथवा वह प्राप्त हुई किसी भी जमाराशि का नवीकरण नहीं करेगी, चाहे उस तारीख से पहले हो या उसके बाद । वे ऐसी जमा राशि का नवीकरण तभी कर सकेंगी जब नवीकरण होने पर राशि नवीकरण की तारीख से 12 महीने से पहले और 120 महीने के बाद चुकायी जाने योग्य हो ।

स्पष्टीकरण

जहां कोई जमाराशि किस्तों में स्वीकार की जाती है वहां जमाराशि की अवधि पहली किस्त की प्राप्ति की तारीख से गिनी जाएगी ।

5. प्रतिफल की न्यूनतम दर

15 मई 1987 को और उस तारीख से किसी शेष गैर बैंकिंग कम्पनी द्वारा उस तारीख से प्राप्त जमाराशियों के संबंध में ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ, चाहे जिस नाम से हो, के रूप में जमा की गयी राशि पर अदा की जाने वाली राशि 10 प्रतिशत वार्षिक (वार्षिक चक्रवृद्धि द्वारा परिगणित) की दर पर गणना की गयी राशि से कम नहीं होगी, बशर्ते जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर कोई शेष गैर बैंकिंग कम्पनी एक वर्ष की अवधि बीतने के बाद किन्तु उस अवधि के बीतने से पहले जिसके लिए जमाराशि स्वीकार की गयी थी, जमाराशि की चुकौती करती है तो कम्पनी द्वारा उस जमाराशि पर ब्याज प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ के रूप में अदा की जाने वाली राशि उस दर से 2 प्रतिशत कम कर दी जाएगी, जिस दर पर वह कम्पनी उस स्थिति में ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ के रूप में आम तौर पर अदा करती यदि जमाराशि जिस अवधि के लिए स्वीकार की गयी उस पूरी अवधि तक चलती ।

6. जमाकर्ताओं के लिए जमानत

15 मई 1987 को और उस तारीख से—

(I) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मियादी जमाराशियों में राशि जमा करेगी अथवा अप्रभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों (ये प्रतिभूतियां तत्समय प्रचलित उनके बाजार मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी) में निवेश करेगी और निवेश बनाए रखेगी अथवा वह अन्य प्रकार से ऐसे निवेश करेगी जो कम्पनी की राय में सुरक्षित होंगे । मियादी जमाराशि अथवा निवेश की राशि 31 दिसम्बर 1987 को और उसके बाद प्रत्येक छमाही अर्थात् 30 जून और 31 दिसम्बर को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि से कम नहीं होगी, चाहे इस प्रकार की राशियां चुकौती योग्य हो गयी हों अथवा नहीं ।

बशर्ते कि इस प्रकार जमा की गयी या निवेश की गयी राशि—

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मियादी जमाराशि के रूप में 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(ख) अनुमोदित प्रतिभूतियों में 70 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(ग) 20 प्रतिशत अथवा कम्पनी की शुद्ध स्वाधिकृत-निधियों के 10 गुने, जो भी कम हो, से अधिक अन्य निवेशों में नहीं होगी । बशर्ते कि इस प्रकार के निवेश कम्पनी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से किए जायेंगे ।

स्पष्टीकरण

"शुद्ध स्वाधिकृत निधियों" का अर्थ कम्पनी की चुकता पूंजी और न्यूनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र में दर्शायी गयी मुक्त प्रारक्षित निधियों के जोड़ में से संचित हानि की राशि, आस्थगित व्यय तथा अन्य अगोचर आस्तियां, यदि कोई हों, जैसे कि उक्त तुलन पत्र में दर्शायी गयी हों, की राशि घटाकर ।

(2) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी इस कार्य के लिए नामित सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक को वे जमा-

राशियां और प्रतिभूतियां सौंपेगा जिनका उल्लेख उप पराग्राफ (1) के परंतुक के खण्ड (क) और (ख) में किया गया है । नामित बैंक इन्हें जमाकर्ताओं के लाभ के लिए अपने पास रखेगा । इस प्रकार की प्रतिभूतियां और जमाराशियां शेष गैर बैंकिंग कम्पनी द्वारा जमाकर्ताओं को अदायगी के लिए आहरण को छोड़कर अन्य कार्य के लिए आहरित नही की जायेंगी अथवा किसी अन्य प्रकार से उनका व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी 31 दिसम्बर 1987 को और उसके बाद 30 जून और 31 दिसम्बर को कारोबार समाप्त होने की स्थिति का उल्लेख करते हुए एक प्रमाणपत्र अपने लेखा परीक्षकों, जो सनदी लेखाकारों के संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स) से एक प्रमाणपत्र लेकर रिजर्व बैंक को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेगा । यह प्रमाणपत्र इस आशय का होगा कि मियादी जमाराशियों में जमाराशि और किए गए निवेश उस वर्ष 30 जून और 31 दिसम्बर को जमाकर्ताओं के प्रति देयताओं की कुल राशि से कम नहीं है ।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए,

(क) "देयताओं की कुल राशि" का अर्थ प्राप्त कुल जमाराशि और संविदा की शर्तों के अनुसार उस राशि पर उपचित ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ, उनका नाम कुछ भी हो, होगा ।

(ख) "अनुमोदित प्रतिभूतियों" का अर्थ वे प्रतिभूतियां हैं, जिनमें तत्समय प्रचलित किसी कानून के द्वारा किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट का धन निवेश करने का प्राधिकार प्राप्त है और इनमें केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत गठित या स्थापित किसी निगम द्वारा जारी की गयी जमाराशियां अथवा बांड भी शामिल होंगे ।

(ग) "सरकारी क्षेत्र के बैंक" का अर्थ है भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहायक बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ठ में उल्लिखित कोई नया तदनुरूप बैंक ।

(घ) "अप्रभारित अनुमोदित प्रतिभूतियों" में कम्पनी द्वारा किसी अन्य संस्था के पास अग्रिम अथवा किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए रखी गयी अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल होंगी । ये उसी सीमा तक होगी जिस सीमा तक प्रतिभूतियां आहरित नहीं की गयी हैं अथवा उनका लाभ नहीं लिया गया है ।

7. जब्ती की समाप्ति

15 मई 1987 को और उस तारीख से कोई भी शेष गैर बैंकिंग कम्पनी किसी भी जमाकर्ता द्वारा जमा की गयी किसी भी राशि अथवा उस पर उपचित किसी ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ को जब्त नहीं करेगी ।

8. जमाराशियां मांगने के लिए आवेदनपत्रों मे विवरण निर्दिष्ट करना

15 मई 1987 को और उस तारीख से शेष गैर बैंकिंग कम्पनी द्वारा दिए गए फार्म में जमाकर्ताओं से लिखित आवेदनपत्र लिए बिना कोई भी शेष गैर बैंकिंग कम्पनी कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करेगी, उसका नवीकरण नहीं करेगी अथवा उसे परिवर्तित नहीं करेगी । फार्म में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विवाद, गैर बैंकिंग कम्पनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत बनायी गयी है, में निर्दिष्ट विवरण दिए जायेंगे । इस आवेदन फार्म में जमाकर्ता द्वारा राशि जमा करने पर मिलने वाले प्रतिफल के बारे में भी पूरे ब्यौरे दिए जायेंगे ।

9. जमाकर्ताओं को रसीद देना

(1) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी प्रत्येक जमाकर्ता अथवा उसके एजेंट को, पहले न दी गयी हो तो, एक रसीद उस राशि के लिए देगा जो राशि कम्पनी जमाराशि, उस पर उपचित ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ की दर के रूप में प्राप्त करेगी । रसीद में राशि शब्दों और अंकों में लिखी जायेगी और वह तारीख भी लिखी जायेगी जिस तारीख को जमाराशि चुकायी जायेगी ।

(2) उक्त रसीद पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, जिसे इस कार्य के लिए कम्पनी की ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो और उसमें जमा की तारीख, जमाकर्ता का नाम, जमा राशि के रूप में कम्पनी द्वारा प्राप्त राशि शब्दों और अंकों में, उस पर देय ब्याज की दर, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ और वह तारीख भी लिखी जायेगी, जिस तारीख को जमाराशि लौटायी जायेगी ।

10. जमाराशियों का रजिस्टर

(1) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी एक अथवा अधिक रजिस्टर रखेगी, जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के बारे में निम्नलिखित विवरण अलग-अलग लिखेगी, अर्थात्

(क) जमाकर्ता का नाम और पता,

(ख) प्रत्येक जमाराशि की तारीख और राशि,

(ग) प्रत्येक जमाराशि की अवधि और देय तारीख,

(घ) प्रत्येक जमाराशि पर उपचित ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ की राशि और तारीख,

(ङ) प्रत्येक चुकौती की तारीख और राशि,

(च) जमाराशि से संबंधित कोई अन्य ब्यौरे ।

उपर्युक्त रजिस्टर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रखा जायेगा/रखे जायेंगे और उस वित्तीय वर्ष के बाद कम से कम

आठ कैलेंडर वर्ष तक सुरक्षित रखे जायेंगे, जिस वित्तीय वर्ष में किसी जमाराशि के विवरण रजिस्टर में निहित हैं और उस राशि की चुकौती या नवीकरण की अन्तिम प्रविष्टि की गयी है ।

(2) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी इन निदेशों के प्रारम्भ होने के बाद प्राप्त हुई/प्राप्त होने वाली जमाराशि के संबंध में अथवा यूनिटों या प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री से प्राप्त जमाराशि के संबंध में अलग-अलग खाता बही रखेगी ।

बशर्ते कि उक्त कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) में उल्लिखित खाता-बहियां अपने पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर उक्त उप धारा के परन्तुक के अनुसार रखती हो, तो उसे इस पैराग्राफ का पर्याप्त अनुपालन समझा जायेगा, यदि रजिस्टर अन्य स्थान पर रखा गया है, जो इस शर्त पर होगा कि कम्पनी ने उक्त उप धारा के परन्तुक के अन्तर्गत रजिस्ट्रार के पास जो नोटिस प्रस्तुत किया है, उस नोटिस के प्रस्तुत करने की तारीख से सात दिन के भीतर नोटिस की एक प्रति रिजर्व बैंक को दी जाएगी ।

11. बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना

(1) इन निदेशों के प्रारम्भ की तारीख के बाद कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सामान्य बैठक में कम्पनी के सामने प्रस्तुत निदेशक बोर्ड की प्रत्येक रिपोर्ट में शेष गैर बैंकिंग कम्पनी के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे या सूचना शामिल की जायेगी, अर्थात्

(क) निदेशों के उपबन्धों का अनुपालन,

(ख) कम्पनी के उन जमाकर्ताओं की कुल संख्या जिनकी जमाराशियों का दावा जमाकर्ताओं ने नहीं किया है अथवा चुकौती के लिए देय हो जाने की तारीख के बाद कम्पनी ने जमाकर्ता के साथ की गयी संविदा अथवा इन निदेशों के अनुसार, जो भी लागू हो, उन्हें अदा नहीं किया है अथवा यथास्थिति नवीकृत नहीं किया है ।

(ग) जमाकर्ताओं को देय ऐसी कुल राशियां जो ऊपर उल्लिखित खण्ड "ख" में बतायी गयी तारीख के बाद अदत्त हैं या जिसके बारे में दावा नहीं किया है ।

(2) उक्त ब्यौरे या सूचना उस वित्तीय वर्ष की अन्तिम तारीख की स्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत की जायेगी जिस वित्तीय वर्ष के संबंध में रिपोर्ट है और यदि उप पैरा (1) के खण्ड "ख" किए गए उल्लेख के अनुसार बिना दावे की या अदत्त शेष राशि का जोड़ 5 लाख रुपए की राशि से अधिक होता है तो रिपोर्ट में एक विवरण इस आशय का भी शामिल किया जायेगा कि जमाकर्ताओं को देय राशियों और शेष बिना दावे की या अदत्त राशियों की चुकौती के लिए निदेशक बोर्ड ने क्या कदम उठाए हैं अथवा क्या उपाय करने का प्रस्ताव किया है ।

12. प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी अपनी खाता बहियों और तुलनपत्रों में उन जमाराशियों के जोड़ को देयताओं के रूप में दर्शायेगी, जो राशियां जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशि और उन पर उपचित या देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम अथवा अन्य लाभ हैं ।

13. रिज़र्व बैंक को निदेशकों की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली तुलनपत्र और लेखों की प्रतियां

प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी रिज़र्व बैंक को, यदि पहले ही सुपुर्द न कर चुकी हो तो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख की स्थिति का लेखा-परीक्षित तुलनपत्र और उस वर्ष के सम्बन्ध में लेखा परीक्षित लाभ-हानि लेखा, जो कम्पनी द्वारा सामान्य बैठक में पारित किया गया हो, प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ इस प्रकार की बैठक में कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 (1) के अनुसार कम्पनी के सामने निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतिलिपि ऐसी बैठक के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगी ।

14. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां

(1) पैराग्राफ 13 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी रिज़र्व बैंक को एक विवरणी प्रस्तुत करेगी, जिसमें यहां दी गयी अनुसूची "अ" में निर्दिष्ट सूचना उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट तारीखों की स्थिति के संदर्भ में दी जायेगी ।

(2) (i) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी इन निदेशों के प्रारम्भ होने की तारीख से अथवा कारोबार प्रारम्भ होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, दो महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को एक विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी—

(क) अपने प्रधान अधिकारियों के नाम, पदनाम और व्यावसायिक योग्यताएं;

(ख) कम्पनी के निदेशकों के नाम योग्यता और आवासीय पते; और

(ग) कम्पनी की ओर से, उप पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर ।

(ii) इस उप पैराग्राफ के खण्ड (i) में उल्लिखित सूची में कोई भी परिवर्तन होने पर इस प्रकार का परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को सूचित किया जायेगा ।

15. वित्तीय कम्पनी विभाग को प्रस्तुत किया जाने वाला तुलनपत्र, विवरणी आदि

इन निदेशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई भी तुलनपत्र, विवरणियां या सूचना रिज़र्व बैंक के वित्तीय कम्पनी विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी का पंजीकृत

कार्यालय स्थित है, जैसा कि यहां अनुसूची "आ" में निर्दिष्ट किया गया है ।

16. विज्ञापन और विज्ञापन के बदले में विवरण

(1) प्रत्येक शेष गैर बैंकिंग कम्पनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और विविध गैर बैंकिंग कम्पनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के उपबन्ध का अनुपालन करेगी और उसके अन्तर्गत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख करेगी--

(क) ब्याज, प्रीमियम, बोनस अथवा अन्य लाभ के रूप में जमाकर्ता को मिलने वाले प्रतिफल की वास्तविक दर ;

(ख) जमाकर्ताओं को अदायगी का ढंग;

(ग) जमाराशि की पूर्ण अवधि;

(घ) किसी निर्दिष्ट जमाराशि पर देय ब्याज;

(ङ) यदि जमाकर्ता दुर्घटना बीमा या किसी प्रकार के अतिरिक्त लाभ, यदि कोई हो, जैसे किसी आकर्षक उपहार/प्रोत्साहन के लिए पात्र है तो इस प्रकार के लाभ/प्रोत्साहन अथवा अतिरिक्त लाभ की राशि जो कम्पनी द्वारा दी/अदा की जाती है ।

(च) यदि कोई जमाकर्ता अवधिपूर्ण होने से पहले जमाराशि आहरित करता है तो उस मामले में जमाकर्ता के लिए देय ब्याज की दर; जिन नियमों और शर्तों पर जमाराशि पुनः चालू/नवीकृत की जाएगी वे नियम और शर्तें; और

(छ) कोई अन्य विशेष बातें जो जमाराशियां स्वीकार करने/पुनः चालू करने/नवीकृत करने के लिए लागू नियमों और शर्तों से संबंधित हों ।

(2) जहां कोई कम्पनी इस प्रकार की जमाराशियां मंगाने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित अथवा उसे अनुमति या उसको कारण बताए बिना जमा राशियां स्वीकार करना चाहती है, तो वह जमा राशियां स्वीकार करने से पहले रिज़र्व बैंक के वित्तीय कम्पनी विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, विज्ञापन के बदले में एक विवरण देगी, जिसमें गैर बैंकिंग कम्पनी और विविध गैर बैंकिंग कम्पनी (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के अनुसार विज्ञापन में शामिल करने के लिए अपेक्षित ब्यौरे और यहां ऊपर उल्लिखित उप पैरा (1) में लिखित ब्यौरे दिए जायेंगे । इस विवरण पर पूर्वोक्त नियमावली में बताए गए ढंग से विधिवत् हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(3) उप पैरा (2) के अन्तर्गत दिया गया विवरण उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने बीतने तक वैध रहेगा जिस वित्तीय वर्ष में यह दिया गया है अथवा उस तारीख तक वैध रहेगा जिस तारीख को आम बैठक में कम्पनी के सामने तुलन-पत्र रखा गया है, अथवा जिस मामले में वार्षिक आम बैठक किसी वर्ष नहीं हुई है तो वह अन्तिम तारीख जिस तारीख तक कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के उपबन्धों के अनुसार बैठक की जानी चाहिए थी, इनमें से जो भी तारीख पहले हो, और प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में उस वित्तीय वर्ष में जमाराशि स्वीकार करने से पहले नया विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ।

17. जो शेष गैर बैंकिंग कम्पनी इन निदेशों के प्रारम्भ होने से पहले कारोबार नहीं कर रही है ऐसी प्रत्येक कम्पनी कोई जमाराशि स्वीकार करने से पहले अपने कारोबार के संबंध में सभी ब्यौरे, जैसा कि अनुसूची "ग" में निर्दिष्ट है, रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगी ।

18. अस्थायी उपबन्ध

इस सम्बन्ध में जारी किए गए या जारी किए जाने वाले किन्हीं निदेशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना--

(1) पैराग्राफ 4 और 5 में निहित कोई भी बात इन निदेशों के प्रारम्भ से पहले जारी किए गए या बेचे प्रमाणपत्रों, यूनिटों या किसी अन्य लिखित के सम्बन्ध में या उनके अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली जमाराशियों पर लागू नहीं होंगे ।

(2) जहां इन निदेशों के लागू होने से पहले किसी शेष गैर बैंकिंग कम्पनी ने अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों या लगायी गयी शर्तों x x x x x के अनुसरण में किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक के साथ कोई व्यवस्था की है या अन्यथा स्थिति हो तो इन निदेशों के पैराग्राफ 6 की कोई बात लागू नहीं होगी और इस प्रकार की गयी व्यवस्था इन निदेशों के प्रारम्भ से पहले जारी किए गए या बेचे गए प्रमाण पत्रों, यूनिटों या अन्य लिखितों के सम्बन्ध में या उनके अन्तर्गत प्राप्त या प्राप्त होने वाली जमाराशियों के संबंध में उन्हीं नियमों और शर्तों पर जारी रहेगी ।

19. छूट

रिज़र्व बैंक, किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण होने पर किसी कम्पनी या कम्पनियों की श्रेणी को इन निदेशों के किसी अथवा सभी उपबन्धों के अनुपालन अथवा उनसे छूट या तो सामान्य रूप में या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए समय बढ़ा सकता है या छूट दे सकता है, जो उन शर्तों के अधीन होगी जिन्हें रिज़र्व बैंक लगाए ।

20. गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1977 का पैराग्राफ 19

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिज़र्व बैंक) निदेश 1977, के पैराग्राफ 19 में निहित कोई भी बात शेष गैर बैंकिंग कम्पनियों पर लागू नहीं होगी ।

पुण्यवेष ओझा
उप गवर्नर

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भरा जायेगा)
कंपनी की कूट संख्या

अंचल ---- प्रकार ----

अनुसूची "अ"

(कृपया दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०)/87 का पैरा 14 देखें
[सभी शेष गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा भरा जाये]

भारतीय रिजर्व बैंक

वित्तीय कंपनी विभाग

कलकत्ता/बंबई/ बंगलूर/नयी दिल्ली

31 मार्च 19 की स्थिति के अनुसार विवरणी

(कृपया अनुदेश सं० 1 देखें)

1. कंपनी का नाम ----

2. पंजीकृत कार्यालय का

(i) पूरा पता ----

पिन कोड ----

फोन सं० ----

(ii) मुख्य/प्रशासनिक कार्यालय*

पिन कोड ----

फोन सं० ----

3. राज्य, जिसमें कंपनी पंजीकृत है** ----

4. स्थिति+
(i) पब्लिक लि०
(ii) प्राइवेट लि०
(iii) विदेशी कंपनी की शाखा

5. निम्नलिखित की तारीख
(i) निगमन — दि दि का मा व व व व
(ii) कारोबार का प्रारंभ — दि दि का मा व व व व
(iii) कंपनी का वित्तीय वर्ष — दि दि मा मा व व व व

6. कारोबार का स्वरूप

7. शाखाओं/कार्यालयों की संख्या£

8. क्या कम्पनी धारक अथवा सहायक या कंपनी है ----

9. कंपनी के लेखा परीक्षकों का/के नाम और पता (पते) ----

10. कंपनी के बैंकरों का/के पता (पते)

*क्या यह स्थान पंजीकृत कार्यालय के अलावा कोई और स्थान है

+जो लागू हो उसे खाने में चिह्न लगायें

@@राज्य के लिए दिये गये स्थान में राज्य का नाम वर्ज करें

खाने में कूट संख्याएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भरी जायेंगी

£कपनी के शाखा/कार्यालय जहां स्थित है उन स्थानों के नाम और पते दर्शानेवाली सूची संलग्न की जाये।

$यदि वह सहायक कम्पनी हो, तो धारक कम्पनी का नाम दर्शाया जाये ।

टिप्पणी :— विवरणी का समेकन करने के पश्चात् उसे दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० 55 के पैरा 14 में बताये गये अनुसार विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाये।

विवरणी भरने संबंधी अनुदेश

1. दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०) 87 के अंतर्गत आने वाली शेष गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा विवरण वर्ष में एक बार 30 जून के पहले प्रस्तुत की जाय । यह विवरणी 31 मार्च तक की स्थिति के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, भले ही कम्पनी का वित्तीय वर्ष कभी भी समाप्त होता हो।

2. वार्षिक लेखों की लेखा-परीक्षा पूर्ण करने/समापन करने जैसे कारणों की वजह से विवरणी को प्रस्तुत करने में विलम्ब नहीं होना चाहिए । विवरणी का समेकन कंपनी की लेखा-वहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए।

3. खातों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में देनी चाहिए जब कि जमा राशियां हजार रुपयों में दर्शायी जायें । राशि निकटतम हजार में पूर्णांकित होनी चाहिए । उदाहरण के तौर पर 4,560 रु० की राशि 4.6 अथवा 5000 न दर्शाकर 5 के रूप में दर्शायी जाये । इसी तरह 61,495 रु० की राशि 61.4 अथवा 61000 न दर्शाकर 61 के रूप मे दर्शायी जाये।

4. विवरणी के भाग 1 की मद सं० 6 के अंतर्गत विविध शीर्षों के सामने जमाराशियों का अवधि के अनुसार वर्गीकरण करना चाहिए । यह वर्गीकरण 31 मार्च से अर्थात विवरणी की तारीख के अनुसार नहीं बल्कि जब उन्हें मूल रूप में जब प्राप्त किया गया अंतिम नवीकरण किया गया उस अवधि के अनुसार होना चाहिए।

5. 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०)-87 के पैराग्राफ 14 (2) द्वारा अपेक्षित प्रमुख अधिकारियों के नाम और पद नाम के साथ ही कंपनी के निदेशकों के नाम और पतों वाली सूची यदि अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को न भेजी हो तो संलग्न करें और यदि सूची में कोई परिवर्तन हों तो रिजर्व बैंक के उस कार्यालय को जहां विवरणी प्रस्तुत की गयी है, वहां उसकी सूचना दें।

6. विवरणी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में पारिभाषित के अनुसार) और यदि वहां कोई प्रबंधक न हो तो प्रबंध निदेशक द्वारा या निदेशकों के बोर्ड द्वारा विधिवत प्राधिकृत किये हुए कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए, जिसके नमूना हस्ताक्षर रिजर्व बैंक को इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किये गये हों । यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में नहीं भेजे गये हैं तो विवरणी पर प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करे और उसके नमूना हस्ताक्षर अलग से भेजे जायें।

7. यदि विवरणी के किसी कालम में कुछ भी न लिखना हो तो वहां "कुछ नहीं" लिखना चाहिए तथा प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी का विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र विवरणी के साथ संलग्न करना चाहिये।

भाग—1

31 मार्च 19———की स्थिति के

अनुसार बकाया जमाराशियों के ब्यौरे

मद सं०	ब्यौरे	मद कूट	खातों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	गैर-जमानती ऋण पत्र (परिवर्तनीय या जमानती ऋण पत्रों के अलावा)			
2.	पब्लिक कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों से प्राप्त जमाराशियां			
3.	कुल (1+2)			
4.	कोई अन्य जमाराशियां			
5.	कुल (3+4)			
6.	ऊपर मद (5) की कुल जमाराशियों में से जमाराशियां जो किसी योजना के अंतर्गत किश्तों में अंशदान के द्वारा एकत्रित की गयी है, उनका योजनानुसार/अवधि के अनुसार नीचे बताया गया अलग-अलग विवरण दें			

(हजार रुपयों में राशि)

	अवधि	मूल्य वर्ग (रु०)	प्रत्येक योजना के अंतर्गत बेचे गये प्रमाणपत्रों की संख्या	31-3-86 तक प्राप्त कुल राशि
	1	2	3	4
भाग—अ				
निर्देश लागू होने से पहले स्वीकार की गयी जमाराशियां बेचे गये प्रमाणपत्र				
(क)	5 वर्ष			
(i)	5,000 तक			
(ii)	5,001—10,000			
(iii)	10,001—15,000			
(iv)	15,001—25,000			
(v)	25,001—50,000			
(vi)	50,000 से अधिक			
(ख)	5 वर्ष से अधिक किन्तु 7 वर्षों से कम			
(i)	5,000 तक			
(ii)	5,001—10,000			
(iii)	10,001—15,000			
(iv)	15,001—25,000			
(v)	25,001—50,000			
(vi)	50,000 से अधिक			

	1	2	3	4
(ग) 7 वर्ष और अधिक				
(i) 5,000 तक				
(ii) 5,001—10,000				
(iii) 10,001—15,000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) 50,000 से अधिक				
भाग "क" का जोड़				

भाग—ख

निर्देशन लागू होने से बाद स्वीकार की गयी जमा-राशियां/बेचे गये प्रमाणपत्र @@

(क) 5 वर्ष				
(i) 5,000 तक				
(ii) 5,001—10,0000				
(iii) 10,001—15,000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) 50,000 से अधिक				
(ख) 5 वर्ष से अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम				
(i) 5,000 तक				
(ii) 5,001—10,000				
(iii) 10,001—15,000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) 50,000 से अधिक				
(ग) 7 वर्ष और अधिक				
(i) 5,000 तक				
(ii) 5,001—10,000				
(iii) 10,001—15,000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) 50,000 से अधिक				
भाग (ख) का जोड़				
कुल योग (क+ख)£				

टिप्पणी:—(1) £कालम 4 में बतायी गयी राशि मद 5 में दी गयी कुल जमाराशियों के आंकड़ों से मेल खानी चाहिए

(2) @@ बजट योजनाओं के प्रकार, अंकित मूल्य, अवधि, संख्या और देय किस्तों की राशि और ब्याज के रूप में देय राशि, प्रीमियम; बोनस या अन्य किसी नाम से दिये गये लाभ का विस्तृत ब्यौरा

भाग—ग

प्रमाणपत्र जिसके संबंध में चूके हुई हैं

	प्रमाणपत्रों की संख्या	अंकित मूल्य	31-3-(1) को संबंध में प्राप्त राशि
	1	2	3
7. उपर्युक्त मद 6 पर कुल जमाराशियों में से			
(i) जो देय हो गयी है /सौंप दी गयी किन्तु दावा नहीं किया गया है			
(ii) जो देय हो गई है/सौंप दी गयी है और दावा भी किया है किन्तु भुगतान नहीं हुआ है।			
8. उपर्युक्त मद 6 पर प्रकार की जमाराशियों में से			
(i) वर्ष के दौरान बेचे गये प्रमाणपत्र			
(ii) वर्ष के दौरान पुन : प्रवर्तन किये हुए प्रमाणपत्र			

टिप्पणी :—(1) यदि अदान की गयी जमाराशियों की कुल राशि 1 लाख से अधिक हो तो प्रत्येक जमाराशि का भुगतान न करने का कारण और उसकी चुकौती करने के वास्ते क्या कार्रवाई की जा रही है उसका उल्लेख अनुबंध में करना चाहिए।

(2) भाग—2 में बतायी गयी राशि को भाग—1 में सम्मिलित न किया जाए।

भाग—2

छूट प्राप्त उधार आदि के ब्यौरे, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 I (बी बी) के अनुसार जमाराशियों के रूप में नहीं गिना जाता।

31 मार्च 19 की स्थिति के अनुसार

मद सं०	ब्यौरे	मद कूट	खातों की संख्या	राशि (हजार रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. बैंकों तथा अन्य निर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से उधार				
2. जमानत राशि के रूप में कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त धन राशि				
3. खरीदने, बेचने अथवा कम्पनी के कारोबार के सिलसिले में अन्य एजेंटों से जमानत अथवा अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि अथवा माल की आपूर्ति के आर्डरों पर प्राप्त अथवा सम्पत्ति अथवा दी गयी सेवाओं के अग्रिम के रुप में प्राप्त राशि				
4. अलाटमेंट होने तक के लिए किन्हीं शेयरों अथवा रक्षित डिबेंचरों में अभिदान के जरिये प्राप्त राशि अथवा कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार शेयरों पर अग्रिम के रूप में प्राप्त वह राशि, जब तक वह कम्पनी के अन्तर्नियमों के अंतर्गत शेयर धारकों को प्रतिदेय नहीं है।				
5. कुल (1 से 4)				

भाग—3

शुद्ध स्वाधिकृत निधियां दर्शाने वाला विवरण

मद सं०	ब्यौरे	मद कूट	राशि (हजार रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शुद्ध स्वाधिकृत निधियां—आंकड़े विवरणी की पूर्ववर्ती तारीख की स्थिति के अनुसार अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार प्रस्तुत किये जायें— तुलन पत्र दिनांक		
	(i) चुकता पूंजी		
	(ii) निर्बंध प्रारक्षित निधियां*		
	कुल (i+ii)		
2.	(i) घाटे की संचित शेष राशि		
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय की शेष राशि		
	(iii) अन्य अमूर्त आस्तियां (कृपया बतायें)		
	कुल (i+ii+iii)		
3.	शुद्ध स्वाधिकृत निधियां (1—2)		

*उपर्युक्त मद 1(II) के अंतर्गत निर्बंध प्रारक्षित निधियों में शेयर प्रीमियम खाते की बकाया राशि, पूंजी और डिबेंचर मोचन की प्रारक्षित निधियां और अन्य प्रारक्षित निधियां जो तुलन पत्र में बतायी गयी है/या प्रकाशित की गयी है और लाभ आबंटन द्वारा निर्मित की गयी है किन्तु जो निम्नलिखित नहीं है :

(i) भावी देयताओं की चुकौती के लिए अथवा संपत्ति के मूल्य ह्रास के लिए अथवा अशोध्य ऋणों के लिए निर्मित की गयी प्रारक्षित निधि

(ii) कंपनी की संपत्ति के पुनर्मुल्यन द्वारा निर्मित की गयी प्रारक्षित निधियां

भाग—4

बकाया ऋण और अग्रिम दर्शाने वाला विवरण

31 मार्च 19-------को

मद सं०	पार्टी का नाम	मद कूट	राशि (हजार रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एक ही समूह वाली कंपनियां [जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (ii) में परिभाषित है]		
	(क)		
	(ख)		
	(ग)		
	(घ)		
	आदि		
	(कृपया अलग-अलग कंपनियों के नाम और उनसे प्राप्य राशियों का उल्लेख करें)		
	कुल		

1	2	3	4
2. अन्य			
(क) कंपनियां जो एक ही समूह वाली नहीं हैं			
(ख) निदेशक			
(ग) शेयरधारी			
(घ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य कर्मचारी . . .			
(ङ) अभिकर्ता (एजेंट)			
(च) अन्य			
कुल			
कुल जोड़ (1+2)			

नोट (1) विविध देनदार, अग्रिम रूप में दिया गया कर और अन्य वसूल करने योग्य मदें, जो ऋण और अग्रिम नहीं हैं, इस विवरण में न दर्शायी जाएं।

(2) अन्य कंपनियों के साथ मीयादी जमा मद 1 या मद 2 (क) के अंतर्गत जैसी भी स्थिति हो, शामिल की जाएं, न कि भाग 5 में।

भाग—5

निवेश दर्शानेवाला विवरण

31 मार्च 19————को

(राशियां हजार रुपयों में)

मद सं०	ब्यौरे	मद कूट	इन निदेशों के आरंभ होने से पूर्व जारी किये या खरीदे गये प्रमाणपत्रों या अन्य लिखितों के संबंध में एकत्र की गयी जमाराशियों से किये गये निवेश	इन निदेशो के आरंभ होने के बाद जारी किये गये या खरीदे गये प्रामाणपत्रों या अन्य लिखतों के संबंध में एकत्र की गयी जमाराशियों से किये गये निवेश*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. एक ही समूह की कंपनियों के शेयर या डिबेंचर (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 (ii) में परिभाषित है)				
(क)				
(ख)				
(ग)				
(घ)				
आदि				
(कृपया अलग-अलग कंपनियों के नाम और उनमें लगायी गयी राशियों का उल्लेख करें) . .				
कुल				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अलग-अलग समूह वाली कंपनियों के शेयर और डिबेंचर				
(क)				
(ख)				
(ग)				
(घ)				
आदि				
(कृपया उल्लेख करें) . . .				
कुल				
3. अन्य निवेश (जैसे सरकारी और अन्य ट्रस्टी प्रतिभूतियों में किये गये निवेश, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की यूनिटों में किये गये निवेश) . . .				
(क)				
(ख)				
(ग)				
आदि				
4. (अ) राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशियों में निवेश .				
(ख) अन्य बैंकों की जमाराशियों में निवेश .				
(कृपया उल्लख करें) . . .				
कुल				
5. कुल जोड़ (1+2+3+4) . . .				

टिप्पणी:---*इन निदेशों के जारी होने के बाद जारी किये गये या की गयी जमाराशियों में से किये गये निवेशों के ब्यौरे।

भाग--6

जमाराशियां और किये गये निवेशों अर्थात नीचे मद सं० 1 और 2 के ब्यौरों में पिछली दो छमाहियों के अंत के तथा जिस वर्ष से विवरण संबंध रखता है उस वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के आंकड़े दिये जायें।

(राशियां हजार रुपयों में)

मद सं०	ब्यौरे	गत वर्ष				चालू वर्ष	
		जारी किये गये/बेचे गये प्रमाणपत्रों/विलेखों के संबंध में		जारी किये गये/बेचे गये प्रमाणपत्रों/विलेखों के संबंध में		जारी किये गये/बेचे गये प्रमाणपत्रों/विलेखों के संबंध में	
		निर्देशों के आरंभ होन से पूर्व (जून 19)	निर्देशों के आरंभ होने के बाद (जून 19)	निर्देशों के आरंभ होने से पूर्व (दिसम्बर 19)	निर्देशों के आरंभ होने के बाद (दिसम्बर 19)	निर्देशों से आरंभ होने से पूर्व (मार्च 19)	निर्देशों के आरंभ होने के बाद (मार्च 19)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. भाग 1 के पद सं० 6 के सामने दर्शायी गयी जमाराशियां						
	2. जमा कर्त्ताओं के लिए+						
	(क) नामित बैंक में मीयादी जमा खातों में जो किसी प्रभार या पुनर्ग्रहणाधिकार से मुक्त हैं।						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार (रों) की भारमुक्त प्रतिभूतियों में या अन्य भारमुक्त प्रतिभूतियों में निवेश जिसमें न्यासी को फिलहाल भारत में लागू किसी भी कानून द्वारा न्यास धन को निवेश करने का हक है ।						
	(ग) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या गठित किसी भी निगम द्वारा जारी/भार युक्त बांडों या मीयादी जमाराशियों में निवेश						
	(घ) कंपनी के विचार में सुरीक्षत अन्य कोई निवेश						

+कृपया दिनांक 15 मई 1987 के अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०)-87 के पैराग्राफ 6 देखें ।

नोट : 1 यदि चूक के पीछे कोई कारण हो तो उनका उल्लेख किया जाए ।

प्रमाण-पत्र

*प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाण पत्र :

(1) प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/जी० जी० (ओ०) –87 के 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 11 पैराग्राफों की अपेक्षाओं का कंपनी ने अनुपालन किया है ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०)–87 के पैराग्राफ 10 की अपेक्षा के अनुसार जमाराशियों के रजिस्टर रखे जा रहे हैं ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि विवरणी में दिये गये ब्यौरे/दी गयी जानकारी सत्यापित कर ली गयी है और सभी प्रकार से सही और पूर्ण पायी गयी ।

(जो प्रमाणपत्र लागू न हो उसे काट दें)

दिनांक :

स्थान :

*प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

विवरणी के अनुलग्नक :

निम्नलिखित दस्तावेज विवरणी के साथ प्रस्तुत किय जायें यदि वह पहले ही न भेजे गये हों । कृपया संलग्न दस्तावेजों के लिए मद के सामने के बॉक्स में टिकमार्क करें और अन्य मामलों में प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें ।

(1) लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और इस विवरणी की निकटतम तारीख के लाभ और हानि लेखे की प्रतिलिपि _____

(2) नमूना हस्ताक्षर कार्ड (कृपया अनुदेश 6 देखें) _____

(3) दिनांक 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 55/डी० जी० (ओ०)–87 के पैराग्राफ 8 में उल्लिखित आवेदन पत्र की प्रतिलिपि _____

(4) प्रधान अधिकारियों की सूची और निदेशकों के नाम और पते (कृपया अनुदेश सं० 5 देखें) _____

*जो लागू न हो उसे काट दें

अनुसूची "आ"

(कृपया निदेशों का पैराग्राफ 15 देखें)

रिजर्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत के क्षेत्र

कार्यालय का नाम और पता	क्षेत्र	अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत के क्षेत्र
1. कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय 15, नेताजी सुभाष मार्ग कलकत्ता–700 001	पूर्वी	सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का संघशासित प्रदेश ।
2. बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय, पोद्दार चैम्बर्स, पांचवी मंजिल, एस० बी० बरेलवी मार्ग, फोर्ट, बंबई-400 001	पश्चिमी	गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य तथा दादरा और नगर हवेली तथा गोवा, दमन और दीव के संघशासित प्रदेश
3. बेंगलूर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8 नृपतुंग मार्ग, बेंगलूर-560 002	दक्षिण	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के राज्य तथा पांडिचेरी और लक्ष्य द्वीप समूह के संघशासित प्रदेश ।
4. नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001	उत्तरी	जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के राज्य तथा चंडीगढ़ और दिल्ली के संघशासित प्रदेश

अनुसूची "इ"

(कृपया निदेशों का पैराग्राफ 17 देखें)

भारतीय रिजर्व बैंक
वित्तीय कंपनियों के विभाग
कलकत्ता/बंबई/बंगलूर/नई दिल्ली

(1) कंपनी का नाम

पता :

(i) पंजीकृत कार्यालय :

(ii) प्रशासनिक कार्यालय :

(iii) शाखा कार्यालय :

(2) निगमन की तारीख :

(3) निदेशक मंडल

(क) निदेशकों के नाम — आवासीय पतों सहित

(i)

(ii)

(iii)

(ख) पदनाम सहित कंपनी के प्रधान अधिकारियों के नाम और आवासीय पते

(4) निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित की गयी ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की अद्यतन प्रतिलिपि

(5) कंपनी द्वारा चलायी गयी/चलाने के लिए प्रस्तावित योजना के प्रकारों के ब्यौरे (जैसे प्रतिलाभ की दर, जमा अवधि)।

(प्रचार पुस्तिका संलग्न की जाये)

(6) जारी का जानेवाला प्रस्तावित विज्ञापन के प्रारूप की प्रतिलिपि

(7) पूंजी ढांचा (राशि लाख रुपयों में)

(क) प्राधिकृत

(ख) जारी किया गया

(ग) प्रदत्त

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

"दि आर्केड", विश्व व्यापार केन्द्र,

बम्बई–400 005, दिनांक 11 जून 1987

संदर्भ डी० बी० ओ० डी० सं० 331/ई० एक्स० सी० एल०/सी० 102–87—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा 6 के खंड (6) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि निम्नलिखित बैंकों को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में से निकाल दिया जाए।

1. दि हबीब बैंक लि०, बम्बई
2. दि नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान, कलकत्ता

ए० घोष, उप गवर्नर

शहरी बैंक विभाग

"दि आर्केड", विश्व व्यापार केन्द्र,

दिनांक 8 जून 1987

संदर्भ यू० बी० डी० बी० आर० 90/ए० 18–86–87—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (यक) के साथ पठित धारा 36क की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित वेतनभोगी समितियां अब उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत सहकारी बैंक नहीं रह गई हैं।

समिति का नाम	राज्य
1. दि स्टेट बैंक आफ इंडिया स्टाफ को–ऑपरेटिव अर्बन (एस० ई०) थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाईटी लि०, हिसार।	हरियाणा
2. गवर्नमेंट सर्वेंट्स को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि०, सं० 146, मुवत्तुपुझा	केरल

पी० बी० माथुर, संयुक्त मुख्य अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय,

बम्बई, दिनांक 10 जून 1987

इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है।

श्री पी० जी० काकोडकर, अधिकारी, शीर्ष कार्यपालक श्रेणी–स्पेशल स्केल–1 ने दिनांक 6 जून, 1987 को कार्य–काल की समाप्ति से मुख्य महाप्रबंधक (योजना), केन्द्रीय कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सी० आर० विजयराघवन, मुख्य महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून 1987

सं० एन० 15/13/11/3/84-यो० एवं वि०-(2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 15–6–87 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा पंजाब कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1953 में निर्दिष्ट चिकित्सा

हितलाभ पंजाब राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे।

अर्थात्

राजस्व ग्राम	हदबस्त नम्बर	जिला
1. नागला	51	पटियाला
2. सिंगपुर भूदे	43	पटियाला
3. रामगढ़ भूदे	42	पटियाला
4. मुबारिकपुर	357	पटियाला
5. सादोमजरा	12	पटियाला
6. हैबेतपुर	358	पटियाला
7. हैबेतपुर रोड़	12	पटियाला
8. सैदपुर	10	पटियाला
9. माधोपुर	11	पटियाला
10. डेरा बासी शहर में सभी क्षेत्र सम्मिलित	1511	पटियाला
11. हरीपुर खुरो	17	पटियाला
12. वीर डण्डरालो	811	पटियाला
13. देवी नगर	1811	पटियाला
14. जवाहरपुर	202	पटियाला
15. जैनतपुर	19	पटियाला
16. भोला माजरा	209	पटियाला
राजस्व ग्राम	हदबस्त नम्बर	जिला
1. भोलापुर	238	लुधियाना
2. मुण्डिया खुर्द	240	लुधियाना
3. मुण्डिया कलान	179	लुधियाना
4. नीची मंगेली	239	लुधियाना
5. शेखवाल	78	लुधियाना
6. भटियान	89	लुधियाना
7. डाबा	262	लुधियाना
8. जासीयान	101	लुधियाना
9. महेरबान	71	लुधियाना
10. बाजरा	76	लुधियाना
11. सिराह	72	लुधियाना

ई० के० राजकृष्णन, संयुक्त बीमा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1987

सं० यू०—16/53/84—चि०—2 (आन्ध्र प्रदेश) पी० टी०—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-83 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० टी० एन० सांगी को हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 1-4-87 से 31-3-88 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

सं० यू०—16(53)/2/84—चि०—2 (महाराष्ट्र) पी० टी०—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23 मई, 1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा डा० (श्रीमती) जे० आर० खान्डेकर को मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर महाराष्ट्र में पिम्परी (पूना) के लिए दिनांक 1-3-1987 से एक वर्ष की अगली अवधि, यानी 29 फरवरी, 1988 तक के लिए या किसी पूर्ण कालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें जो भी पहले हो, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

दिनांक, 10 जून 1987

सं० यू०—16(53) 86—चि०—2(महाराष्ट्र) पी० टी०—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर, मैं इसके द्वारा डा० हरवन्त सिंह को मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर बम्बई क्षेत्र के लिए दिनांक 1-6-1987 से ग्यारह महीने की अगली अवधि, यानी 30-4-88 तक के लिए या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० वेद प्रकाश, चिकित्सा आयुक्त

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली–110001, दिनांक 25 मई 1987

शुद्धिपत्र

सं० 25–1/87–एल० आई०—दिनांक 2–4–87 की सूचना संख्या 25–1/87–एल० आई० में पालिसी संख्या एल-139945 के स्थान पर पालिसी संख्या एल 139949 पढ़ें।

दिनांक, 15 जून 1987

सूचना

सं० 25–11/87–जीवन बीमा—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमा-कर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्र० सं०	पालिसी सं० और दिनांक	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रु०)
1.	210537–सी दिनांक 7–7–78	डा० सी० सुब्बाराव	10,000

दिनांक, 22 जून 1987

सूचना

सं० 25–29/87–एल० आई०—नीचे जिन डाक जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है, वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों को प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है :

क्र० सं०	पालिसी सं० तारीख	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	8507–बी तारीख 12–3–82	श्री कैलाश नाथ वर्मा	20,000

सं० 25–31/87–एल० आई०—नीचे जिन डाक जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है, वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है :—

क्र० सं०	पालिसी सं० व तारीख	बीमाकर्त्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	एल० ई०–498/सी तारीख 12–12–85	श्री एच० आर० शाह	20,000

दिनांक, 23 जून 1987

सूचना

सं० 25–10/86–एल० आई०—नीचे जिन डाक जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई हैं। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक डाक जीवन बीमा कलकत्ता को बीमेदारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों का प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है।

क्र० सं०	पालिसी सं०	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	ए–9714	श्री मुकुट बिहारी पंवार	20,000
2.	ए–9714	श्री मुकुट बिहारी पंवार	20,000
3.	एल आई/368948 पी०	श्री वी० वी० रमनतेंयूया	6,000
4.	265038–सी	श्री आई० पी० वशिष्ठ	25,000
5.	474921–पी	श्री करतार सिंह	10,000
6.	511098–पी	श्री जे० ए० भट्ट	10,000
7.	219132–सी	श्री पी० के० तुरी	10,000

सं० 25–26/86–एल० आई०—नीचे जिन डाक जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा दिया गया है, वे विभाग की अभिरक्षा से गुम हो गई है। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमादारों के पक्ष में अनुलिपि बीमा पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। जनता को एतद्द्वारा मूल पालिसियों को प्रयोग न करने के लिए सावधान किया जाता है :

क्र० सं०	पालिसी सं० और तारीख	बीमाकर्ता का नाम	राशि (रुपए)
1.	488148–सी दिनांक 19–11–83	श्रीमती पी० एम० चूनावाला	24,000

जे० घोष

निदेशक डाक जीवन बीमा

भारतीय जीवन बीमा निगम

विभेदी बोनस के लिए पालिसियों का वर्गीकरण

संशोधन विनियम, 1987

जीवन बीमा अधिनियम 1956 (1956 का 31) के तहत दिए गए अधिकारों के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पालिसियों का वर्गीकरण) विनियम 1961 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करती है :—

(1) इन विनियमों को भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पालिसियों का वर्गीकरण) संशोधन विनियम 1987 कहा जाएगा ।

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पालिसियों का वर्गीकरण) विनियम 1961 (आगे से कथित विनियम से संदर्भगत) के विनियम 12(बी) के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा ।

"12(सी): अंतरिम बोनस के प्रावधानों के बावजूद वैसे पालिसी धारक जिनकी पालिसियों पर पूर्णावधि या मृत्युदावा मूल्यन तिथि के बाद होता है उन्हें 31 मार्च 1986 एवं उसके पश्चात् होने वाले मूल्यन के प्रथम दिवस उपरांत से मूल्यन के फलों के आधार पर बोनस दिया जा सकता है ।"

(3) कथित विनियम के विनियम 4 को 31 मार्च 1986 के बाद होने वाले मूल्यन की तिथि से हटा दिया जाता है ।

(4) कथित विनियम में विनियम 3 के उपरांत निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा ।

"3(ए) निम्नलिखित प्रावधानों के बावजूद समूह सूची 0 से 9 तक के अंतर्गत आने वाली पालिसियों के बोनस की दरें 31 मार्च 1986 के मूल्यन फल तथा उसके बाद सैं वही होंगी जो कि निगम के द्वारा जारी पालिसियों के लिए हैं ।"

मु० गो० दिवाण, प्रबन्ध निदेशक

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(प्रशासन प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 1987

सं० रा० स० वि० नि० 1–4/83–प्रशा०—राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 की सं० 26) की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियम 1967 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

I. (1) ये विनियम रा० स० वि० नि० सेवा (संशोधन) विनियम, 1987 कहलाएंगे ।

(2) ये विनियम 1–7–1986 से लागू होंगे ।

II. विनियम सं० 59 (ख) में "एक सौ अस्सी दिन" शब्दों के स्थान पर "दो सौ चालीस दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए ।

III. विनियम सं० 59 (छ) में "180 दिन" आंकड़ों तथा शब्द के स्थान पर "240 दिन" आंकड़ों तथा शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए ।

रवि वीर गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक

"छावनी बोर्ड, डलहौजी छावनी"

डलहौजी छावनी, दिनांक 16 जून 1987

का० नि० आ०–सी० बी० डी०–5/1/92—स्थानीय स्वशासन विभाग समिति की डलहौजी छावनी की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित भवनों पर गृह–कर और फेंटेज कर अधिरोपित करने की बाबत अधिसूचना सं० 18704, तारीख 10 जुलाई, 1923 का संशोधन करने के लिए सार्वजनिक सूचना का कतिपय प्रारूप, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 255 के साथ पठित, धारा 61 की अपेक्षानुसार, छावनी बोर्ड, डलहौजी के सहजदृश्य भाग पर चिपका कर 3 मार्च, 1987 को प्रकाशित किया गया था और उन सभी व्यक्तियों से उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर छावनी बोर्ड को कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, अब छावनी बोर्ड, डलहौजी, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, स्थानीय स्वशासन विभाग समिति की अधिसूचना सं० 18704, तारीख 10 जुलाई, 1923 का निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

सभी भवनों या भवनों के भाग पर बोर्ड द्वारा यथा-निर्धारित वार्षिक मूल्य पर जैसा कि छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 64 में परिभाषित है, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष गृह कर ।

(फाइल सं० 53/35 सी० एल० एंड सी०/82)

मानक चन्द पाटनी,
छावनी कार्यपालक अधिकारी
डलहौजी छावनी

RESERVE BANK OF INDIA

Calcutta-700 001, the 15th May 1987

No. DFC.55/DG(O)-87.—The Reserve Bank of India having considered it necessary in the public interest to give the directions mentioned below, hereby, in exercise of the powers conferred by Sections 45J and 45K of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, gives the directions hereinafter specified.

Part I—Preliminary

1. *Short Title and commencement of the directions*

These directions shall be known as "Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions", 1987. They shall come into force with effect from 15th May 1987 and any reference to these directions to the date of commencement thereof shall be deemed to be reference to that date.

Part II—Extent of the directions

2. These directions shall apply to every residuary non-banking company that is to say a non banking institution, being a company, which receives any deposit under any scheme or arrangement, by whatever name called, in one lumpsum or in instalments by way of contributions or subscriptions or by sale of units or certificates or other instruments, or in any other manner and which, according to the definitions contained in the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 or, as the case may be, the Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 is not—

(i) an equipment leasing company

(ii) a hire purchase finance company

(iii) a housing finance company

(iv) an insurance company

(v) an investment company

(vi) a loan company

(vii) a mutual benefit financial company, and

(viii) a miscellaneous non-banking company.

3. *Definitions*

In these directions, unless the context otherwise requires,

(a) "deposit" shall have the same meaning as assigned to it in Section 45 I(bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(b) "depositor" means any person who has made the deposit with the company;

(c) words or expressions used but not defined herein and defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall have the same meaning as assigned to them in that Act. Any other words or expressions not defined herein or in the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) but defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall have the same meaning as assigned to them in the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

4. *Acceptance of deposits by residuary non-banking companies*

On and from 15th May 1987, no residuary non-banking company shall receive any deposit repayable on demand or on notice or after a period of less than 12 months or more than 120 months from the date of receipt of such deposit, or renew any deposit received by it whether before or after that date, unless such deposit on renewal, is repayable not earlier than 12 months and not later than 120 months from the date of such renewal.

Explanation

Where a deposit is received in instalments, the period of deposit shall be computed from the date of receipt of the first instalment.

5. *Minimum rate of return*

On and from 15th May 1987, the amount payable by way of interest, premium, bonus or other advantage, by whatever name called, by a residuary non-banking company in respect of deposits received from that date, shall not be less than the amount calculated at the rate of 10 per cent per annum (to be compounded annually) on the amount deposited; provided that where, at the request of the depositor, a residuary non-banking company makes repayment of the deposit after the expiry of a period of one year but before the expiry of the period for which the deposit had been accepted, the amount payable by the company by way of interest, premium, bonus or other advantage on such deposit shall be reduced by two per cent from the rate which the company would have ordinarily paid by way of interest, bonus, premium or other advantage, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run.

6. *Security for depositors*

On and from 15th May 1987—

(1) Every residuary non-banking company shall deposit and keep deposited in fixed deposits with public sector banks or invest and keep invested in unencumbered approved securities (such securities being valued at their market value for the time being), or in other investments, which in the opinion of the company are safe, a sum which shall not, at the close of business on 31st December 1987 and thereafter at the end of each half year that is, 30th June and 31st December be less than the aggregate amounts of the liabilities to the depositors whether or not such amounts have become payable:

Provided that of the sum so deposited or invested

(a) not less than 10 per cent shall be in fixed deposits with any of the public sector banks;

(b) not less than 70 per cent shall be in approved securities; and

(c) not more than 20 per cent or ten times the net owned funds of the company, whichever amount is less, shall be in other investments. Provided that such investments shall be with the approval of the Board of Directors of the Company.

Explanation: "Net owned funds" shall mean the aggregate of the paid-up capital and free reserves as appearing in the latest audited balance sheet of the company as reduced by the amount of accumulated balance of loss, deferred revenue expenditure and other intangible assets, if any, as disclosed in the said balance sheet.

(2) Every residuary non-banking company shall entrust to one of the public sector banks designated in that behalf, deposits and securities referred to in clauses (a) and (b) of the proviso to sub paragraph (1) to be held by such designated bank for the benefit of the depositors. Such securities and deposits shall not be withdrawn by the residuary non-banking company, or otherwise dealt with, except for repayment to the depositors.

(3) Every residuary non-banking company shall furnish to the Reserve Bank within thirty days from the close of business on 31st December 1987 and thereafter at the end of each half year that is as on 30th June and 31st December, a certificate from its auditors, being members of Institute of Chartered Accountants, to the effect that the amounts deposited in fixed deposits and the investments made are not less than the aggregate amounts of liabilities to the depositors as on 30th June and 31st December of that year.

Explanation: For the purpose of this paragraph,

(a) "Aggregate amounts of liabilities" shall mean total amount of deposits received together with

interest, premium, bonus or other advantage by whatever name called, accrued on the amount of deposits according to the terms of contract.

(b) "approved securities" means, the securities in which the Trustee is authorised to invest trust money by any law or the time being in force in India and bonds or fixed deposits issued by any Corporation established or constituted under any Central or State enactments.

(c) "public sector banks" means, the State Bank of India, the Subsidiary Banks and the corresponding new banks referred to in Section 45(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(d) "unencumbered approved securities shall include the approved securities lodged by the company with another institution for advance or any other credit arrangements to the extent to which such securities have not been drawn against or availed of.

7. *Abolition of forfeiture*

On and from 15th May 1987 no residuary non-banking company shall forfeit any amount deposited by a depositor, or any interest, premium, bonus or other advantage accrued thereon.

8. *Particulars to be specified in application Form soliciting deposits*

On and from 15th May 1987, no residuary non-banking company shall accept, renew or convert any deposit except on a written application from the depositor in the form to be supplied by the company which form shall contain all the particulars specified in the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, made under Section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956). Such application form shall also contain full details about the return which a depositor is entitled to get on the deposits made by him.

9. *Furnishing of receipts to depositors*

(1) Every residuary non-banking company shall furnish to every depositor or his agent, unless it has done so already, a receipt for every amount which has been or which may be received by the company by way of deposit before or after the commencement of these Directions :

(2) The said receipt shall be duly signed by an officer entitled to act for the company in this behalf and shall state the date of deposit, the name of the depositor, the amount in words and figures received by the company by way of deposit, the rate of interest, premium, bonus or other advantage payable thereon and the date on which the deposit is repayable.

10. *Register of Deposits* :

(1) Every residuary non-banking company shall keep one or more registers in which shall be entered separately in the case of each depositor the following particulars, namely,

(a) name and address of the depositor,

(b) date and amount of each deposit,

(c) duration and the due date of each deposit,

(d) date and amount of accrued interest, bonus, or premium or other advantage on each deposit,

(e) date and amount of each repayment,

(f) any other particulars relating to the deposit.

The register or registers aforesaid shall be kept at the registered office of the company and shall be preserved in good order for a period of not less than eight calendar years following the financial year in which the latest entry is made of the repayment or renewal of any deposit of which particulars are contained in the register;

(2)Every residuary non-banking company shall maintain separate books of account and registers with respect to deposit received/to be received or by sale of units or certificates or other instruments after the commencement of these directions.

Provided that if the company keeps the books of accounts referred to in sub-section (1) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) at any place other than its registered office in accordance with the proviso to that sub-section, it shall be sufficient compliance with this paragraph if the register aforesaid is kept at such other place, subject to the condition that the company delivers to the Reserve Bank a copy of the notice filed with the Registrar under the proviso to the said sub-section within seven days of such filing.

11. *Information to be included in the Board's report*

(1) In every report of the Board of Directors laid before the company in general meeting under sub-section (1) of Section 217 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) after the date of commencement of these directions, there shall be included in the case of a residuary non-banking company the following particulars or information, namely :

(a) compliance with the provisions of the direction,

(b) the total number of depositors of the company whose deposits have not been claimed by the depositors or paid by the company after the date on which the deposit became due for repayment or renewal as the case may be according to the contract with the depositor or the provisions of these directions, whichever may be applicable; and

(c) the total amounts due to the depositors and remaining unclaimed or unpaid beyond the date referred to in clause (b) as aforesaid.

(2) The said particulars or information shall be furnished with reference to the position as on the last date of the financial year to which the report relates and if the amounts remaining unclaimed or unpaid as referred to in clause (b) of sub-paragraph (1) exceed in the aggregate the sum of rupees five lakhs, there shall also be included in the report a statement on the steps taken or proposed to be taken by the Board of Directors for the repayment of the amounts due to the depositors and remaining unclaimed or unpaid.

12. Every residuary non-banking company shall disclose as liabilities in its books of accounts and balance sheets, the total amount of deposits received together with interest, bonus, premium or other advantage, accrued or payable to the depositors.

13. *Copies of balance-sheet and accounts together with the Directors' report to be furnished to the Reserve Bank*

Every residuary non-banking company shall deliver to the Reserve Bank unless it has done so already, an audited balance-sheet as on the last date of each financial year and an audited profit and loss account in respect of that year as passed by the company in general meeting together with a copy of the report of the Board of Director laid before the company in such meeting in terms of Section 217(1) of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) within fifteen days of such meeting.

14. *Returns to be submitted to the Reserve Bank*

(1) Without prejudice to the provisions of paragraph 13, every residuary non-banking company shall submit to the Reserve Bank a return furnishing the information specified in the Schedule A hereto with reference to its position as on the dates specified in the said Schedule.

(2) (i) Every residuary non-banking company shall not later than 2 months from the date of commencement of these directions or from the commencement of business whichever is later, deliver to the Reserve Bank a written statement containing.....

(a) the names, designations and professional qualifications of its principal officers;

(b) the names, qualifications and residential addresses of the directors of the company; and

(c) the specimen signatures of the Officers authorised to sign on behalf of the company, returns specified in sub-paragraph (1).

(ii) Any change in the list referred to in clause (i) of this sub-paragraph shall be intimated to the Reserve Bank within one month from the occurrence of such change.

15. *Balance-sheet, return etc. to be submitted to the Department of Financial Companies*

Any balance sheets, returns or information required to be submitted or furnished to the Reserve Bank in pursuance of these directions shall be submitted or furnished to the Regional Office of the Department of Financial Companies of the Reserve Bank within whose jurisdiction the Registered Office of the company is situated, as specified in the Schedule B hereto.

16. *Advertisements and Statement in lieu of Advertisement*

(1) Every residuary non-banking company shall comply with the provision of the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977 and shall also specify in every advertisement to be issued thereunder, the following :

(a) the actual rate of return by way of interest, premium bonus or other advantage to the depositor;

(b) The mode of payment to depositors;

(c) maturity period of deposit;

(d) the interest payable on a specified deposit;

(e) if the depositors are eligible for any attractive gifts/incentives such as accident insurance or similar additional benefit if any, the amount of such gift/incentive or additional advantage, which is given/paid by the company.

(f) the rate of interest which will be payable to the depositor in case the depositor withdraws the deposit prematurely; the terms and conditions subject to which a deposit will be revived/renewed; and

(g) any other special features relating to the terms and conditions subject to which the deposits are accepted/revived/renewed.

(2) Where a company intends to accept deposits without inviting or allowing or causing any other person to invite such deposits, it shall before accepting deposits, deliver to the Regional office of the Department of Financial Companies of the Reserve Bank within whose jurisdiction its registered office is situated, for registration, a statement in lieu of advertisement containing all the particulars required to be included in the advertisement pursuant to the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-culars stated in sub-paragraph (1) hereinabove, duly signed in the manner provided in the aforesaid Rules.

(3) A statement delivered under sub-paragraph (2) shall be valid till the expiry of six months from the date of closure of the financial year in which it is so delivered, or until the date on which the balance sheet is laid before the company in general meeting, or where the annual general meeting for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), whichever is earlier and a fresh statement shall be delivered in each succeeding financial year before accepting deposits in that financial year.

17. Every residuary non-banking company which has not been carrying on business before the commencement of these directions shall, before receiving any deposit furnish to the Reserve Bank all particulars relating to its business, as specified in the Schedule C hereto.

18. *Transitory Provision*

Without prejudice to any directions issued or to be issued in that regard,

(1) Nothing contained in paragraphs 4 and 5 shall apply to the deposits received or to be received under or in respect of any certificates, units or other instruments issued or sold before the commencement of these directions.

(2) Where, before the commencement of these directions, a residuary non-banking company has, for providing full security to its depositors, entered into any arrangement with any public sector bank pursuant to any directions issued or conditions stipulated by the Reserve Bank or otherwise nothing in paragraph 6 of these directions shall apply and the arrangement so entered into shall continue on the same terms and conditions with respect to deposits received or to be received under or in respect of certificates, units or other instruments, issued or sold before the commencement of these directions.

19. *Exemptions*

The Reserve Bank may, if it considers it necessary for avoiding any hardship or for any other just and sufficient reason, grant extensions of time to comply with or exempt any company or class of companies, from all or any of the provisions of these directions either generally or for any specified period subject to such conditions as the Reserve Bank may impose.

20. *Paragraph 19 of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977*

Nothing contained in paragraph 19 of the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 shall apply to the residuary non-banking companies.

P. D. OJHA
Deputy Governor

(To be completed by RBI)
Company Code

ZONE TYPE

SCHEDULE 'A'

(Please see paragraph 14 of the Notification No. DFC. 55/DG(O)/87 dated the 15th May 1987

(To be filled in by all residuary non-banking companies)

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES
CALCUTTA/BAMBAY/BANGALORE/NEW DELHI
Return as on the 31st March, 19.
(Please see instruction No. 1)

1. Name of the Company . . . . . .

2. Full address of the :

(i) Registered Office . . . . . .

Pin Code . .

Phone No. . .

(ii) Head/Administrative Office* . . . . . .

Pin Code . .

Phone No. . .

3. State in which the company is registered @@ . . .

4. Status+ . . . (i) Public Ltd. . . .

(ii) Private Ltd. . . .

(iii) Branch of a foreign company

5. Date of . . . (i) Incorporation . . .

(ii) Commencement of business

(iii) Financial year of the Co. .

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	

6. Nature of business . . . . . .

7. No. of Branches/Offices £ . . . . . .

8. Whether a holding company or a subsidiary £ . . .

9. Name(s) of the company's auditors and address(es) . .

10. Name(s) of company's bankers and address(es) . . .

*If it is at a place other than the Registered Office.

+Tick the box which is applicable.

@@Enter the name of the State in the space provided therefor. Codes in the boxes will be given by RBI.

£ A list showing the names and addresses of the place where the branches/offices of the company are situated should be enclosed

$ If it is a subsidiary, the name of the holding company may be indicated.

NOTE : The Return, after compilation, should be sent to the concerned Regional Office of the Department as specified in paragraph 14 of the Notification No. 55 dated the 15th May 1987.

INSTRUCTIONS FOR FILLING IN THE RETURN

1. The return should be submitted by a residuary non-banking company covered by Notification No. DFC.55/DG (O)-87 dated the 15th May 1987 once a year before the 30th June with reference to its position as on the 31st March irrespective of the date of closing of the financial year of the company concerned.

2. The submission of the return should not be delayed for any reason such as the finalisation/completion of the audit of the annual accounts. The compilation of the return should be on the basis of the figures available in the books of account of the company.

3. The number of accounts should be given in actual figures while the amounts of deposits should be given in thousands of rupees. Amount should be rounded off to the nearest thousand. For example an amount of Rs. 4,560 should be shown as 5 and not as 4.6 or 5000. Similarly an amount of Rs. 61,495 is to be shown as 61 and not as 61.4 or 61000.

4. The period-wise classification of deposits should be made against the various heads under item No. 6 of Part 1 of the return according to the periods for which they have been originally received/last renewed and not according to the periods they have to run as from the 31st March i.e. the date of the return.

5. A list containing the names and the designations of the principal officers as also the names and addresses of the directors of the company should be attached in case it has not so far been sent to the Reserve Bank as required by paragraph 14(2) of the Notification No. DFC.55/DG (O)-87 dated the 15th May 1987 and any change in the list should also be intimated to the office of the Reserve Bank to which this return is submitted.

6. The return should be signed by the Manager (as defined in Section 2 of the Companies Act, 1956) and if there is no such Manager, by the Managing Director or any official of the company who has been duly authorised by the Board of Directors and whose specimen signature has been furnished to the Reserve Bank for the purpose. In case the specimen signature has not been furnished in the prescribed card, the return may be signed by the authorised official and his specimen signature furnished separately.

7. In case there is nothing to report in any part of the return, it should be marked 'Nil' and the Manager's/Managing Director's/Authorised official's Certificate appended to the return should be duly signed.

PART — I

Particulars of deposits outstanding as on the 31st March 19

Item No.	Particulars	Item Code	Number of accounts	Amounts (in thousand of rupees)
1	2	3	4	5
1	Unsecured debentures (other than convertible ot secured debentures)			
2	Deposits received by a public company from its shareholders			
3	Total (1 + 2)			
4	Any other deposits			
5	Total (3 + 4)			
6	Of the total deposits at item (5) above deposits which are collected by way of subscriptions in instalments under any scheme the following break up may be given schemewise/ periodwise :			

(Amounts in thousands of Rupees)

	Period	Denomination	No of Certificates sold under each scheme	Aggregate amount received as on 31-3-87
1	2	3	4	5
PART — A				
Deposits accepted /Certificates sold prior to the commencement of the Directions@@				
(a) 5 years :				
(i) Upto 5,000				
(ii) 5,001—10,000				
(iii) 10,001—15,000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) Over 50,000				
(b) Over 5 years but less than 7 years :				
(i) Upto 5,000				
(ii) 5,001—10,000				
(iii) 10,001—15,000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) Over 50,000				
(c) 7 years and over :				
(i) Upto 5,000				
(ii) 5,001—10,000				
(iii) 10,001—15000				
(iv) 15,001—25,000				
(v) 25,001—50,000				
(vi) Over 50,000				
TOTAL OF PART 'A'				

1	2	3	4	5

PART 'B'

Deposits accepted certificates sold after the commencement of the Directions@@

(a) 5 years :

(i) Upto 5,000 . . . . . .
(ii) 5,001—10,000. . . . . .
(iii) 10,001—15,000 . . . . . .
(iv) 15,001—25,000 . . . . . .
(v) 25,001—50,000 . . . . . .
(vi) Over 50,000 . . . . . .

(b) Over 5 years but less than 7 years :

(i) Upto 5,00 . . . . . .
(ii) 5,001—10,000 . . . . . .
(iii) 10,001—15,000 . . . . . .
(iv) 15,001—25,000 . . . . . .
(v) 25,001—50,000 . . . . . .
(vi) Over 50,000 . . . . . .

(c) 7 years and over :

(i) Upto 5,000 . . . . . .
(ii) 5,001—10,000. . . . . .
(iii) 10,001—4,000 . . . . . .
(iv) 15,001—25,000 . . . . . .
(v) 25,001—50,000 . . . . . .
(vi) Over 50,000 . . . . . .

TOTAL OF PART 'B' . . .

GRAND TOTAL (A+B) £ .

NOTE :

(1) £ Amount shown at column 4 should agree with the figure of total deposits given against item 5

(2) @@Brief details of the types of saving schemes, face value, duration, number and amount of instalments payable and the amount payable by way of interest, premium, bonus or other advantage by whatever name called may be given.

PART – C

Certificates in respect of which defaults have occured

	No. of certificates	Face value	Amounts received in respect of (1) as on 31-3-87
	1	2	3
7 Of the total deposits at item 6 above :			
(i) those which have become payable/surrendered but not claimed			
(ii) those which have become payable/surrendered and claimed but not paid			
8. Of the deposits of the type at item 6 above			
(i) Certificate sold during the year . . .			
(ii) Certificate received during the year . . .			

NOTE : (1) If the aggregate amount of deposits not repaid exceeds Rs 1 lakhs the reasons for non-payment of each deposits and the steps taken for repayment should be indicated in an Annexure.

(2) The amounts shown in the Part 2 should not be included in Part 1

PART 2

Particulars of exempted borrowing, etc. not counting as deposits in terms of section 45 I(bb) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)

(*As on the* 31*st March* 19)

Item No.	Particulars	Item Code	Number of Accounts	Amounts (In thousands of Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Borrowings from banks and other specified financial institutions			
2.	Money received from employees of the company by way of security deposit			
3.	Money received by way of security or advance from purchasing, selling or other agents in the course of company's business or advance received against orders for supply of goods or properties or for rendering of services			
4.	Money received by way of subscription to any shares or secured debentures pending allotment or money received by way of calls in advance on shares in accordance with the Articles of Association of the company so long as such amount is not repayable to the shareholders under the articles of Association of the company			
5.	TOTAL (1 to 4))			

PART 3

Statement showing the net owned funds

Item No.	Particulars	Item code	Amounts (in thousands of Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Net owned funds (figures to be furnished as per the last audited balance sheet preceding the date of the return—Balance sheet as on.....		
	(i) Paid-up Capital		
	(ii) Free Reserves*		
	TOTAL (i + ii)		
2.	(i) Accumulated balance of loss		
	(ii) Balance of deferred revenue expenditure		
	(iii) Other intangible assets (Please specify)		
	TOTAL (i + ii + iii)		
3	Net owned funds (1—2)		

*"Free reserves" mentioned under item 1(ii) above shall include the balance in the share premium account, capital and debenture redemption reserves and any other reserve shown or published in the balance sheet and created through an allocation of profits, bot not being :

(i) a reserve created for repayment of any future liability or for depreciation in assets or for bad debts, or

(ii) a reserve created by revaluation of the assets of the company

PART — 4

Statement showing outstanding loans and advances

(*As on* 31*st March* 19)

Item No	Name of the party	Item Code	Amounts (In thousands of Rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Companies in the same group (as defined in section 372 (ii) of the Companies Act, 1956) :		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
	(e)		
	etc		
	(Please specify the names and amounts due from individual companies)		
	TOTAL		
2	Others :		
	(a) Companies not in the same group		
	(b) Directors		
	(c) Shareholders		
	(d) Chief Executive Officer and other employees		
	(e) Agents		
	(f) Others		
	TOTAL		
	GRAND TOTAL: (1 + 2)		

NOTE :

(1) Sundry debtors, tax paid in advance and other recoverable items not in the nature of loans and advances should not be shown in this statement

(2) Fixed deposits with other companies should be included under item 1 or item 2 (a), as the case may be and not in Part 5

PART—5

Statement showing Investments

As on the 31st March 19..
(Amounts in thousands of Rupees)

Item No.	Particulars	Item Code	Investments made out of deposits collected in respect of certificates or other instruments issued or sold prior to the commencement these directions.	Investments made out of deposits collected in respect of certificates or other instruments issued or sold after the commencement of the directions.*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shares and debentures of companies in the same group (as defined in section 372 (ii) of the companies Act, 1956)			
	(a)			
	(b)			
	(c)			
	(d)			
	etc.			
	(Please mention the names and amounts invested in individual companies).			
	Total			

1	2	3	4	5
2.	Shares and debentures of companies not in the same group			
	(a)			
	(b)			
	(c)			
	(d)			
	etc.			
	(Please specify)			
	Total :			
3.	Other investments (such as investments in Government and other Trustee securities, investments in units of the Unit Trust of India)			
	(a)			
	(b)			
	(c)			
	etc.			
4.	(a) Investments in deposits with nationalised banks			
	(b) Investment in deposits with other banks			
	(Please specify)			
	Total :			
5.	GRAND TOTAL (1+2+3+4)			

NOTE : *Details of Investments made out of deposits collected in respect of certificates or other instruments issued or sold after the commencement of these directions should be shown separately.

PART—6

Particulars relating to deposits and investments made i.e. items 1 and 2 below should contain the data as at the end of two preceeding half years and for the quarter ending 31st March of the year, with reference to which the return is submitted.

(Amounts in thousands of Rupees

Item No.	Particulars	PREVIOUS YEAR				CURRENT YEAR	
		In respect of Certificates/ instruments issued/sold		In respect of Certificates/ instruments issued/sold		In respect of Certificates/ instruments issued/sold	
		Prior to commencement of Directions (June 19)	After commencement of Directions (June 19)	Prior to commencement of Directions (Dec. 19)	After commencement of Directions (Dec. 19)	Prior to commencement of Directions (March 19)	After commencement of Directions (March 19)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Deposits as shown against item No. 6 of Part I						
2.	Security for Depositors+						
	(a) Balance in fixed deposit accounts with designated bank free from any charge or lien						

1	2	3	4	5	6	7	8
	(b) Investments in unencumbered securities of the Central Government or the State Government(s) or in other unencumbered securities in which a Trustee is entitled to invest trust money by any law for the time being in force in India.						
	(c) Investments in unencumbered bonds or fixed deposits issued by any corporation established or constituted under any Central or State enactment.						
	(d) any other investments which in the opinion of the company are safe ;						

*Please see paragraph 6 of the Notification No. DFC. 55/DG(O)-87 dated, 15th May 1987.

Note : 1. Reasons for default, if any, may be specified.

CERTIFICATE

*Manager's/Managing Director's/
Authorised Official's
Certificates :

(1) Certified that the company has complied with the requirements of paragraphs 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 11 of the Notification No. DFC 55/DG(O)-87 dated 15th May 1987.

(2) Certified that the Registers of deposits are being maintained on the lines indicated in paragraph 10 of the Notification No. DFC. 55/DG(O)-87 dated 15th May 1987.

(3) Certified that the particulars/information furnished in the return have been verified and found to be correct and complete in all respects.

(Strike off whichever certificate is not applicable)

Date :.....

Signature of *Manager/Managing Director/Authorised Official :

Place :.....

Name : .....

Designation : .....

Enclosures to the return :

The following documents should be submitted along with the return in case they have not already been sent. Please tick in the box against the item for the document enclosed and state the date of submission in other cases.

(1) A copy of the audited balance sheet and profit and loss account dated nearest to the date of this return.

(2) Specimen signature card (Please see instruction No. 6)

(3) A copy of the application form referred to in paragraph 8 of the Notification No. DFC. 55/DG(O)-87 dated 15th May 1987

(4) A list of principal officers and the names and addresses of directors (Please see instruction No. 5)

*Strike off whichever is not applicable.

SCHEDULE 'B'

(Please see paragraph 15 of the Directions)

Areas under the jurisdiction of each Regional office of the Reserve Bank

Name & address of the office	Region	Areas under jurisdiction
1. Calcutta Regional Office, 15, Netaji Subhas Road, Calcutta-700001.	Eastern	States of Sikkim, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, West Bengal, Bihar, Orissa, Arunachal Pradesh, Mizoram and Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.
2. Bombay Regional Office, Podar Chambers, 5th floor, S. V. Brelvi Road, Fort, Bombay-400001.	Western	States of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman & Diu.
3. Bangalore Regional Office, 10-3-8, Nrupathunga Road, Bangalore-560002.	Southern	States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala and the Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep.
4. New Delhi Regional Office, 6, Sansad Marg, New Delhi-110001.	Northern	States of Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh and the Union Territories of Chandigarh and Delhi.

SCHEDULE 'C'

(Please see paragraph 17 of the directions)

RESERVE BANK OF INDIA
Department of Financial Companies
Calcutta/Bombay/Bangalore/New Delhi

(1) **Name of the Company :**

Address :

(i) Registered Office : .....

(ii) Administrative Office : .....

(iii) Branch Office(s) : .....

(2) **Date of incorporation**

(3) **Board of Directors**

(A) Name of the Directors — **With residential addresses**

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(B) Names and residential addresses of principal officers of the Company with designation . . . . . .

(4) An up-to-date copy of Memorandum & Articles of Association duly attested by a Director . . . . . .

(5) Particulars of the types of schemes run/proposed to be carried on by the Company (such as rate of return, period of deposit).
(Pamphlets literature should be attached) .....

6. Copy of the draft advertisement proposed to be issued

7. **Capital structure :** (Amounts in lakhs of rupees)

(a) Authorised . . . . . .

(b) Issued . . . . . .

(c) Paidup . . . . . .

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & DEVELOPMENT

"THE ARCADE" WORLD TRADE CENTRE,

Bombay-400 005, the 11th June 1987

DBOD. No. 331/Excl/C.102-87.—In pursuance of clause (b) of sub-Section 6 of Section 42 of the Reserve Bank of India Act 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following banks, namely;

(1) The Habib Bank Ltd., Bombay, and

(2) The National Bank of Pakistan, Calcutta.

A. GHOSH
Deputy Governor

URBAN BANKS DEPARTMENT

"THE ARCADE", WORLD TRADE CENTRE

Bombay-400005, the 8th June, 1987

UBD. BR 90/A. 18-86/87— In pursuance of Sub-Section (2) of Section 36A read with Clause (Za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following salary earners' societies have ceased to be co-operative banks within the meaning of the said Act.

	Name of the Society	State
1.	The State Bank of India Staff Co-operative Urban (S.E.), Thrift and Credit Society Ltd., Hissar.	Haryana
2.	Governmnt Servant's Co-operative Society Ltd., No. 146, Muvattopuzha.	Kerala

P. B. MATHUR,
Jt. Chief Officer

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE,

Bombay, the 10th June 1987

The following appointment on the Bank's Staff is hereby notified :

Shri P. G. Kakodkar, Officer, Top Executive Grade Special Scale I, has assumed charge as Chief General Manager (Planning), Central Office as at the close of business on June 6, 1987.

Sd/- ILLEGIBLE
Chief General Manager
(Personnel and H.R.D)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, dated the 17th June, 1987

No. N-15/13/11/3/84 P & D :—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 15-6-87 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Punjab Employees State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Punjab namely :—

	REVENUE VILLAGE	HAD BAST NO.	DISTRICT
1.	Nagla	51	Patiala
2.	Singh Pur Bhude	43	Patiala
3.	Ramgarh Bhude	42	Patiala
4.	Mubarik Pur	357	Patiala
5.	Sadomajra	12	Patiala
6.	Haibatpur	358	Patiala
7.	Haibatpur Road	12	Patiala
8.	Saidpur	10	Patiala
9.	Madhopur	11	Patiala
10.	Areas comprising Derabasi Town	1511	Patiala
11.	Haripur Khuro	17	Patiala
12.	Vir Dandralo	811	Patiala
13.	Devi Nagar	1811	Patiala
14.	Jawaharpur	202	Patiala
15.	Janetpur	19	Patiala
16.	Bhola Majra	209	Patiala

	REVENUE VILLAGE	HAD BAST NO.	DISTRICT
1.	Bholapur	238	Ludhiana
2.	Mundia Khurd	240	Ludhiana
3.	Nichi Mangeli	239	Ludhiana
4.	Mundia Kalan	179	Ludhiana
5.	Shekhwal	78	Ludhiana
6.	Bhatian	89	Ludhiana
7.	Daba	262	Ludhiana
8.	Jassian	101	Ludhiana
9.	Maherban	71	Ludhiana
10.	Bajra	76	Ludhiana
11.	Sirah	72	Ludhiana

E. K. RAJAKRISHNAN,
Jt. Insurance Commissioner

New Delhi, the 3rd June 1987

No. U-16/53/84-Med.II(A.P)Pt.—In pursuance of the resolution passed by the E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. T. N. Sanghi, to function as Madical Authority w.e.f. 1-4-1987 to 31-3-1988 or till full-time Medical Referee joins whichever is earlier, for Hyderabad (A.P.) at a monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

No. U-16/53/(2)/84-Med.II(Mah.) Pt.—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. (Mrs.) J. R. Khandekar to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms with effect from 1-3-1987 for further period of one year i.e. upto 29-2-1988 or till a full-time Medical

Referee joins, whichever is earlier for Pimpri (Pune) Maharashtra for the purpose of Medical Examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the Original certificates is in doubt.

The 10th June 1987

No. U-16/53/86-Med.II(Mah.)Pt.—In pursuance of the resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25th April, 1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. Harwant Singh to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms with effect from 1-6-1987 for a further period of eleven months i.e. upto 30-4-1988 or till a full-time Medical Referee joins whichever is earlier for Bombay area for the purpose of Medical Examination of the Insured Persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. VED PRAKASH
Medical Commissioner

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-110 001, the 25th May 1987

CORRIGENDUM

No. 25-1/87-I.—Read Policy No. L-139949 in place of Policy No. L-139945 in the Notice No. 25-1/87-LI dated 2-4-1987.

The 15th June 1987

NOTICE

No. 25-11/87-LI—P. L. I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	210537-C dt. 7-7-78	Dr. C. Subba Rao	10,000.00

The 22nd June 1987

NOTICE

No. 25-29/87-LI:—P. L. I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof his been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta as been authorised to issue duplicate policies in favour of insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	8507-B dt. 12-3-82	Shri Kailash Nath Verma	20,000

No. 25-31/87-LI:—P. L. I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of the Insurant	Amount (Rs.)
1.	NE/498-C dt. 12-12-85	Shri H.R. Saha	20,000

The 23rd June 1987

NOTICE

No. 25-10/86-LI—P. L. I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

S. No.	Policy No.	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	A-9713 . . .	Sh. Mukut Bihari Panwar	20,000
2.	A-9714 . . .	Shri Mukut Bihari Panwar	20,000
3.	LI/368948-P .	Sh. B. V. Ramanathaia	8,000
4.	265038-C . .	Sh. I. P. Vasishth	25,000
5.	474921-P . .	Sh. Kartar Singh	10,000
6.	511098-P . .	Sh. J. M. Bhatt	10,000
7.	219132-C . .	Sh. P. K. Turi	10,000

No. 25-26/86-LI—P. L. I Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies:—

S. No.	Policy No. & Date	Name of Insurance	Amount (Rs.)
1.	488148-C dt. 19-11-83	Smt. P. S. Chunawala	24,000

JYOTSNA DIESH
Director (PLI)

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (CLASSIFICATION OF POLICIES FOR DIFFERENTIAL BONUSES) AMENDMENT REGULATIONS, 1987

In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Life Insurance Corporation of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Life Insurance Corporation of India (Classification of Policies for Differential Bonuses) Regulations, 1961 namely :—

1. These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Classification of Policies for Differential Bonuses) Amendment Regulations, 1987.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Classification of Policies for Differential Bonuses) Regulations 1961 (hereinafter referred to as the said Regulations) after Regulation 12 (b), the following Regulation shall be inserted, namely :—

"12 (c) Notwithstanding the provisions applicable to interim bonuses the policy holders whose policies become claim by death or maturity after a valuation date may be given bonuses as per the results of the valuation from the first day following the date of the valuation as at 31st March 1986 or thereafter".

3. Regulation 4 of the said Regulation is deleted with effect from the valuation following the valuation as at 31st March 1986.

4. In the said Regulations after Regulation 3 the following Regulation shall be added, namely :—

"3(a) Notwithstanding the provisions hereunder, the bonus rates under the policies with Group Index 0 to 9 declared as a result of valuation as at 31st March 1986 and thereafter would be the same as under policies issued by the Corporation".

M. G. DIWAN
Managing Director

RASHTRIYA SAHAKARI VIKAS NIGAM

(ADMINISTRATION DIVISION)

New Delhi-110016, the 18th June 1987

No. NCDC.1-4/83-Admn.—In exercise of the powers conferred by Section 23(1) of National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (No. 26 of 1962) the National Cooperative Development Corporation with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following amendments to the National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, namely :—

I (1) These Regulations may be called NCDC Service (Amendment) Regulations, 1987.

(2) These shall come into force with effect from 1-7-1986.

II. In Regulation No. 59(b) for the words 'One hundred and eighty days', the words 'Two hundred and forty days shall be substituted.

III. In Regulation No. 59(g) for the figures and word '180 days', the figures and word '240 dtys' shall be substituted.

R. V. GUPTA
Managing Director

MINISTRY OF DEFENCE

CANTONMENT BOARD DALHOUSIE CANTONMENT

Dalhousie Cantonment, the 16th June 1987

SRO. CBD-5/1/92.—WHEREAS public notice of certain draft to amend the notification of the Local-Self Government Department Committees No. 18704, dated the 10th July, 1923, imposing House Tax and Frontage Tax on buildings situated within the limits of the Dalhousie Cantonment was published on 3rd March, 1987, by affixing the same in conspicuous part of the Cantonment Board, Dalhousie, as required by section 61 read with section 255 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice.

AND WHEREAS no objections and suggestions were received from the public by the Cantonment Board during the period specified in the notice;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Dalhousie, with previous sanction of the Central Government hereby amends the Notification of the Local-Self-Government Department Committees No. 18704, dated the 10th July, 1923, as follows, namely :—

In the said notification, for items (1) and (2) the following item shall be substituted namely :—

House Tax of Rs. 10 percent per annum on the annual value as defined in section 64 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) of all buildings or part of buildings as assessed by the Board.

(File No. 53/35/C/L&C/82).

M. C. PATNI
Cantonment Executive Officer
Dalhousie Cantonment.

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay-400 020, the 16th June 1987

Existing Provision of Regulation 6(2) of Unit Trust of India Employees' Provident Fund Regulations 1964

In addition to the subscription under sub-regulation (1) the subscriber may make further subscription of an amount equal to not more than 20% or less than 5% of his pay provided that the total subscription to the Fund by any subscriber during the year shall not exceed Rupees Thirty Thousand.

The provision of Regulation 6(2) of Unit Trust of India Employees' Provident Fund Regulations 1964 after the amendment

In addition to the subscription under sub-regulation (1), the subscriber may make further subscription, of an amount upto the pay minus the amount subscribed under sub-regulation (1) but such additional subscription being not less than 5% of his pay.

C. G. PAREKH
Deputy Central Manager
(Finance & Investment)
Unit Trust of India
Bombay

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1987